31

II/निग०/सतना/2017/4781

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, म.प्र.

Rs 30/-

मुस. राममणि बेवा रामायण प्रसाद, उम्र 56 वर्ष, पेशा गृहकार्य, निवासी ग्राम भटिगवां, तहसील कोटर, जिला–सतना म.प्र.....................................**निगराकार**

बनाम

01–शासन म.प्र.

02–श्रीकान्त तनय रामायण प्रसाद, उम्र 28 वर्ष, पेशा कृषि, ग्राम भटिगवां, तहसील कोटर, जिला–सतना म.प्र..**गैरनिगराकारगण**

अधि० श्री के.सी. तिवारी, द्वारा पेश। 30-11-17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

निगरानी विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त बिहरा, तहसील कोटर, जिला–सतना म.प्र. के रा.प्र.क्र. 41/अ–12/2016–17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 30.06.2017

मान्यवर,

उपरोक्त प्रसंग में निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन करती है :–

संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि निगराकार की मौजा भटिगवां, तहसील कोटर, जिला–सतना म.प्र. में सहखाते की आ.नं. –121/1 रकवा 0.150 हे. कृषि भूमि है, जिसमें प्रार्थिया/निगराकार अपने हक हिस्से की जमीन में खेती कर काबिज काश्त है। उक्त आराजी

क्रमशः........2

[redacted] राममणि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक प्र0क0 दो–निगरानी/सतना/2017/4781

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/5/18	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त खुटार तहसील सिंगरोली के प्रकरण कमांक 41 अ–12/16–17 में पारित आदेश दिनांक 30–6–17 के विरूद्व म.प्र.भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क–2 ने भटिगवां की आराजी कमांक 121/1 रकबा 0.150 है. के सीमांकन की मांग की, जिस पर राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण कमांक 41 अ–12/16–17 पॅजीबद्व किया तथा सीमांकन की मेढ़िया कास्तकारों को सूचना जारी की गई। राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 3–6–17 को मौके पर जाकर सीमांकन कार्यवाही की, पंचनामा तैयार किया । सीमांकन पर आपत्ति न आने के कारण राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण कमांक 41 अ–12/16–17 में पारित आदेश दिनांक 30–6–17 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान कर दी। आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि राजस्व निरीक्षक ने अनावेदक को सूचना दिये बिना चोरी छिपे सीमांकन किया है जिसकी सूचना आवेदक को नहीं हुई, यदि आवेदक को सीमांकन की सूचना दी जाती है, निश्चित है वह अपना पक्ष समर्थन करता । अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित हुई है । आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि सीमांकित भूमि अनावेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज है जिसके सीमांकन कराने की वह अधिकारी है।	

स्वयं की भूमि को प्रभावित होना मानता है, तब वह आर.आई. अथवा उससे वरिष्ठ अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनॉक 30–6–17 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य